

प्रेस नोट  
सराहनीय कार्य जनपद बागपत

दिनांक 28.12.2020

- थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 02 ट्रैक्टर महिन्द्र मय एक ट्राली व अवैध 02 चाकू नाजायज बरामद।

अभियुक्तों का नाम व पता—

- 1—दीपक पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत।  
2—रवि पुत्र रोषन निवासी पटटी धनधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण—

दो ट्रैक्टर चोरी के—

- 1—एक ट्रैक्टर महिन्द्र 265डीआई—मय एक ट्रोली।  
2—एक ट्रैक्टर महिन्द्र 255डीआई।  
3—02 चाकू नाजायज।

अपराधिक इतिहास(अभियुक्त दीपक व रवि)—

- 1—एफआईआर संख्या 028840 / 2020 धारा 379 भादवि थाना छावला कैप दिल्ली।  
2—एफआईआर संख्या 018695 / 2020 धारा 379 भादवि थाना छावला कैप दिल्ली।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—

थाना छपरौली— पुलिस द्वारा दिनांक 27.12.2020 को रात्रि समय करीब 21:30 बजे मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान रठौड़ा नहर पुल से अभियुक्त 1—दीपक पुत्र वीरेन्द्र निवासी ग्राम तुगाना थाना छपरौली जनपद बागपत 2—रवि पुत्र रोषन निवासी पटटी धनधान कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से दिल्ली से चोरी के 02 ट्रैक्टर मय एक ट्रोली व नाजायज 02 चाकू बरामद किये गये हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना छपरौली पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण— गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि उपरोक्त दोनों ट्रैक्टर महिन्द्रा मय एक ट्राली को अगस्त व नवम्बर माह वर्ष 2020 में थाना क्षेत्र छावला कैप दिल्ली से चोरी किए हैं। जिनको हम जनपद मेरठ के कबाड़ी बाजार मे बेचने के लिए लेकर जा रहे थे।

- नषीले पदार्थ की तस्करी करने वाले 02 तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 80 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये) एवं तस्करी मे प्रयुक्त एक रेनॉल्ट डस्टर कार बरामद।

---

### गिरफ्तार अभियुक्तों (गांजा तस्कर) का नाम पता-

- 1—कामिल पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत।
- 2—नागेन्द्र पुत्र बाबूराव निवासी बीसी कालौनी फस्ट वार्ड थाना नरसी पटनम जनपद विषाखापटनम आध्रप्रदेश।

#### बरामदगी का विवरण—

- 1—80 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये)।
- 2—एक रेनॉल्ट डस्टर कार नम्बर—एपी—13एजी—0876(बिना कागजात)

**थाना बिनौली व सर्विलांस टीम बागपत—** के संयुक्त ऑपरेशन द्वारा दिनांक 27.12.2020 को रात्रि समय करीब 22:30 बजे मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान माखर चौकी के पास से 02 नषीले पदार्थों के तस्कर 1—कामिल पुत्र मेहरदीन निवासी ग्राम निरपुडा थाना दोघट जनपद बागपत 2—नागेन्द्र पुत्र बाबूराव निवासी बीसी कालौनी फस्ट वार्ड थाना नरसी पटनम जनपद विषाखापटनम आध्रप्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 80 किलोग्राम गांजा (कीमत करीब 10 लाख रुपये) एवं तस्करी में प्रयुक्त एक रेनॉल्ट डस्टर कार नम्बर—एपी—13एजी—0876(बिना कागजात) बरामद की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों से नषीले पदार्थों की तस्करी के विषय में विस्तृत जानकारी ज्ञात कर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 374 / 2020 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से एक स्विफ्ट कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी नाजायज बरामद।

**थाना चांदीनगर—** पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.12.2020 को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान चौकी ललियाना से एक अभियुक्त विकास पुत्र नथू सिंह निवासी ग्राम अलीपुर थाना ट्रोनिका सिटी जनपद गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक स्विफ्ट कार फर्जी नम्बर प्लेट लगी नाजायज बरामद की गई है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना चांदीनगर पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

**थाना कोतवाली बागपत—** पुलिस द्वारा आज दिनांक 28.12.2020 को मु0अ0सं0 947 / 2020 धारा 452, 354, 354ध, 376, 511, 506 भादवि व 7 / 8 पोक्सो अधिनियम में वांछित अभियुक्त बंटी पुत्र पालेराम निवासी ग्राम फैजपुर निनाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर विधिक कार्यवाही की जा रही है।